न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा विविध– टी.सी. आवंटन
प्रकरण संख्या 53/2017 (GCMS: 2017/000116)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

बनाम

1. **रेशी देवी पत्नी** स्व. श्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 22, आदर्श कॉलोनी, सूरतगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर(मृतक–17.09.2019)

**1/1 जयचन्द पुत्र** स्व. रेशी देवी, निवासी वार्ड नम्बर 19/22 अरोड़वंश धर्मशाला के पास, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

**1/2 प्रदीप कुमार** पुत्र स्व. रेशी देवी निवासी वार्ड नम्बर 10, आदर्श कॉलोनी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

**1/3 इन्द्रा पुत्री** स्व. रेशी देवी निवासी चक 59 एफ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

**1/4 शकुन्तला पुत्री** स्व. रेशी देवी निवासी चक 59 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

**1/5 सरस्वती पुत्री** स्व. रेशी देवी निवासी वार्ड नम्बर 8, ग्राम भाड़ेरा, तहसील लूनकरणसर, जिला बीकानेर

**1/6 शारदा पुत्री** स्व. रेशी देवी निवासी ग्राम भाड़ेरा, तहसील लूनकरणसर, जिला बीकानेर

**1/7 सुमित्रा पुत्री** स्व. रेशी देवी निवासी ग्राम भाड़ेरा, तहसील लूनकरणसर, जिला बीकानेर

2. **धर्मवीर पुत्र** स्व. श्री पृथ्वीसिंह जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 22, आदर्श कॉलोनी, सूरतगढ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक 25.06.2025

**पत्रावली पेश हुई।** अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलवंत सिंह, राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि** राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक श्री पृथ्वीराज पुत्र हसंराज जाति बिश्नोई निवासी सूरतगढ को, सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 335 में 12 बीघा 15 बिस्वा बारानी भूमि टी.सी. पर 30.01.1971 को आवंटित हुई थी। जिसे तहसीलदार, सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 30.06.2006 से खारिज कर दिया था।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** तहसीलदार, सूरतगढ ने अपने क्षेत्राधिकारी से बाहर जाकर, अप्रार्थी को बिना सुने ही आदेश पारित किया था, इसलिए रेशी देवी द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ के आदेश के विरूद्ध माननीय मण्डल में निगरानी पेश की थी, जो माननीय मण्डल ने रिमाण्ड कर इस न्यायालय को निर्णय हेतु भिजवाई है, जिसे स्वीकार कर अप्रार्थी रेशी देवी के वारिसों के नाम खातेदारी अधिकारी दिये जाने की प्रार्थना की है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** उक्त भूमि पर नगरपालिका द्वारा कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। मास्टर प्लान में उक्त भूमि किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ/अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं है। इसलिए उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी को दिये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:48 IST
Reason: SelfAttested

**प्रार्थी ने अपनी बहस के** समर्थन में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2060–63 (वर्ष 2003–06), सम्वत् 2057–60(वर्ष 2000–2003), सम्वत् 2026–29 (वर्ष 1969–72) की प्रति पेश की है।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**इसके विपरीत** नगरपालिका **सूरतगढ़ के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि** रोही कस्बा सूरतगढ़ का बिना कमेटी से टी.सी. पटटा आदेश की पालना में जारी पट्टा जो एक साल की अवधि के लिए जारी किया गया था, के निरस्त हो जाने के उपरान्त अपर न्यायालय से बाद रिमाण्ड प्रकरण में टी.सी. बहाल/नवीनीकरण रखने की मांग की है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** प्रकरण में वर्णित टी.सी. पटटा धारक पृथ्वीराज की भी फौत हो चुकी है व उसके वारिसों ने इस रकबा के टी.सी. पटटा बहाल/नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ अदालत तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष कभी भी पेश नहीं किया है। टी.सी. पट्टा धारक को टी.सी. लीज एक साल के लिए ही जारी की गयी थी टी.सी. आवंटन नियमानुसार 5 साल की अवधि के लिए ही किया जा सकता है। अवधि समाप्त होते ही यह पट्टा/आवंटन स्वतः ही खारिज हो गया था, इसलिए प्रार्थी रेशी देवी पत्नी पृथ्वीराज के वारिस किसी की खातेदारी पाने के हकदार नहीं है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** टी.सी. नवीनीकरण के लिए पट्टा धारक को प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ता है तत्पश्चात उस प्रार्थना पत्र पर पटवारी की रिपोर्ट आती है, टी.सी. पट्टा धारक का पेशा काश्तकारी है या नहीं?, उसके पास रकबा सीलिंग सीमा [illegible] या ज्यादा है. टी.सी. पट्टा धारक ने नवीनीकरण अवधि की रकम/ली [illegible] राशि जो एक रूपया प्रतिबीधा नवीनीकरण से पूर्व जमा ही नहीं करवाई [illegible] इसलिए रेशी देवी के वारिस किसी प्रकार की खातेदारी पाने के हकदार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**उनका आगे यह भी कथन है कि** राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी कृषि पटटा) शर्ते. 1955 के नियम 7 ख के अनुसार परिवार नियोजन तरीके ना अपनाने से अयोग्यता– ऐसे व्यक्ति को भूमि का ऑवटन नहीं किया जायेगा जिसके **आंवटन के लिये आवेदन की तारीख को तीन से अधिक बच्चो हो** और इस शर्त के प्रभाव में आने के पश्चात किया गया आंवटन निरस्त करने का दायी होगा, यदि ये पाया जावे कि आवेटन हेतु आवेदन की तारीख को आवंटी इस शर्त के अधीन अयोग्य था अथवा वह तत्पश्चात इस शर्त में उल्लेखित प्रकार से अयोग्य हो जाता है तथा टीसी पटटा धारक के तीन से ज्यादा बच्चे थे। इसलिये रेशी के वारिसों का टी.सी. पट्टा की खातेदारी देने का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** रोही कस्बा सूरतगढ़ का रकबा दिनांक 07.09.2006 तक उपनिवेशन क्षेत्र में था, उपनिवेशन क्षेत्र में नगरपालिका पैरोफैरी के रकबा के खातेदारी अधिकार अस्थाई आवंटी को जारी नहीं हो सकते है। टी.सी. आवंटी को यह रकबा कभी भी पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने अनेक बार टी.सी. पुख्ता आंवटन हेतु टी.सी. आंवटीयो को अवसर दिये थे परन्तु इस प्रकरण में प्रार्थी ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है व यह रकबा उपनिवेशन में रहते हुए ही खारिज हो गया है. इसलिए भी प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** प्रार्थी का इस रकबा पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। कभी भी प्रार्थी ने काश्त नहीं की है। प्रार्थी ने इस प्रकरण में कोई भी ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो की उसने इस रकबा को काश्त किया है। प्रार्थी या प्रार्थी के पिता / पति ने इस रकबा को कभी काश्त ही नहीं की, प्रार्थी ने कोई रकम भी जमा नहीं करवाई है। टी.सी. आवटी का नवीनीकरण के लिए कब्जा होना भी अनिवार्य है। प्रार्थी के पास कभी भी कब्जा नही रहा है। इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**उनका आगे यह भी कथन है कि** प्रकरण रकबा जमाबन्दीयों में शुरू से आराजीराज था, प्रार्थी के नाम का गिरदावरीयों में टी.सी. आवंटन का अकंन नहीं है। सन 2006 के पश्चात तो यह रकबा नगरपालिका सूरतगढ को हस्तान्तरण हो चुका था इसलिए भी प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** टी.सी. निरस्ती हेतु श्रीमान्‌जी द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ को अधिकृत किया था। अस्थाई अवांटन नियम 1955 के नियम 4 (ङ) के अनुसार तहसीलदार को शक्तिया है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी था। इसलिए न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय भी पृष्टि योग्य था।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** टी.सी. आवंटन/नवीनीकरण की शर्तो के अनुसार प्रार्थी शर्त भी पूरी नही करता है व टी.सी. नवीनीकरण भी नहीं है व कब्जा काश्त भी नही है, तथा नगरपालिका सूरतगढ़ को अनेक सरकारी संस्थाओं के लिए रकबा की आवश्कता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए जैर प्रकरण रकबा नगरपालिका सूरतगढ़ को हस्तान्तरण किया जाने की प्रार्थना की है।

**राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि** सूरतगढ के खसरा नम्बा 335 की 12 बीधा 15 बिस्वा भूमि तहसीलदार, राजस्व, सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 03.06.2006 से अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ को दिये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश दिनांक 03.06.2006 के विरूद्ध अप्रार्थी रेशी देवी ने माननीय मण्डल में दिनांक 2010 निगरानी पेश की थी जबकि रेशी देवी को किसी प्रकार का टी.सी. आंवटन नहीं हुआ था। रेशी देवी के पति पृथ्वीराज ने 24.06.1970 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

टी.सी. आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, और 30.01.1971 को अप्रार्थी पृथ्वीराज को टी.सी. आवंटन हेतु उक्त विवादित रकबा आवंटित हुआ था। इसलिए रेशी देवी का उक्त विवादित रकबा पर कोई अधिकार नहीं बनता है इसलिए रेशी देवी की मृत्यु दिनांक 17.09.2019 के पश्चात उसके वारिसों को उक्त विवादित रकबा पर किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

**राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि** सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 335 की 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अप्रार्थीगण को अस्थाई काश्त हेतु (टी.सी.) पर आवंटित की गई थी। राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग, जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 के द्वारा ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पेराफेरी क्षेत्र में आती है और इस भूमि को न तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार का पुख्ता आवंटन व खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त आवंटित भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) 1955 की शर्तो व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार, सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 08.09.2006 के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन खारिज किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी एल.आर. संख्या 409/2019 पेश होने पर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 06.07.2017 के द्वारा यह प्रकरण तहसीलदार सूरतगढ का आदेश दिनांक 08.09.2006 को निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को रिमाण्ड किया गया था। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 06.07.2017 के अनुसार आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकारी इसी न्यायालय को है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**उनका आगे यह भी कथन है कि** माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में तहसीलदार का आदेश दिनांक 03.06.2006 इस आधार पर निरस्त किया गया है कि तहसीलदार को राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा) उपनिवेशन अधिनियम 1955 के तहत टी.सी. पर आवंटित भूमि को खारिज करने का अधिकार नहीं है। चूंकि अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज या ऐसा कोई अन्य साक्ष्य पेश नही किया है, जिससे स्पष्ट हो कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 03.06.2006 में वर्णित अधिसूचनाएं 15.12.2005 व 08.02.206 लागू न होती हो। इसलिए उक्त अधिसूचनाओं के तहत अप्रार्थी को आवंटित विवादग्रस्त भूमि नगरपालिका परिधि में आ चुकी है, इसलिए उसका आवंटन निरस्त करने योग्य है।

**मैनें, उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया** और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पूर्व में तहसीलदार, सूरतगढ के आदेश दिनांक 03.06.2006 के द्वारा अप्रार्थीगण को सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 335 की 12 बीधा 15 बिस्वा भूमि खारिज कर दी थी, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी एलआर संख्या 409/2010/गंगानगर अनवानी रेशी देवी वगै. बनाम सरकार पेश हुई, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 06.04.2017 के द्वारा इस आधार पर रिमाण्ड की गयी कि राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा) उपनिवेशन अधिनियम 1955 के तहत आवंटन खारिज करने का अधिकार जिला कलक्टर को है न कि तहसीलदार को। इसलिए तहसीलदार, सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 03.06.2006 निरस्त कर मामला इस न्यायालय को रिमाण्ड किया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 06.04.2017 के अंतिम पैरा में निम्न आदेश पारित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:48 IST
Reason: Self Attested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 03.06.2006 को प्रकरण अनवानी स्टेट बनाम पृथ्वीराज में पारित निर्णय निरस्त किया जाता है और प्रकरण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुकूल निर्णय पारित करें। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 09.05.2017 को जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

**जहां तक माननीय राजस्व मण्डल** के आदेशानुसार राजस्थान (अस्थाई कृषि पट्टा), 1955 के तहत अप्रार्थीगण को अस्थाई काश्त पर आवंटित विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 335 की 12 बीघा 15 बीस्वा भूमि के आवंटन को निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को न होकर जिला कलक्टर को है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पृथ्वीराज पुत्र हरदास जाति बिश्नोई को दिनांक 30.01.1971 को उक्त विवादित भूमि अस्थाई काश्त हेतु आवंटित हुई थी, जो बाद नवीनीकरण होती रही है और और अंतिमबार दिनांक 29.08.1988 को नवीनीकरण हुआ है इसके पश्चात उक्त विवादित भूमि का कभी नवीनीकरण नहीं हुआ है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य अप्रार्थी रेशी उर्फ पृथ्वीराज/रेशी के वारिसों ने पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:06:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**उक्त विवादित रकबे का दिनांक 29.08.1988 के पश्चात** कभी नवीनीकरण नहीं हुआ और न ही ऐसे कोई दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है तथा वह नगरपालिका की सीमा की परिधि में आता है अर्थात पेराफेरी क्षेत्र में आता है। इस आधार पर राज्य सरकार के परिपत्र (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 के अनुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में आती है, का ना तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही आवंटन किया जाता सकता है। इस आधार पर तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा आवंटन निरस्त किया गया था। अप्रार्थी रेशी देवी/रेशी देवी के वारिसों ने ऐसा कोई भी दस्तावेज साक्ष्य या कोई कानूनी परिपत्र आदेश पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि का अस्थाई आवंटन आगे नवीनीकरण किया गया है।

**राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955** के तहत अप्रार्थी को अस्थाई काश्त हेतु एक वर्ष के लिए आवंटित की जाती है तथा टी.सी. आवंटन नियमानुसार 5 साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। अवधि समाप्त होते ही यह पट्टा/आवंटन स्वतः की खारिज हो जाता है।

**हस्तगत प्रकरण में पृथ्वीराज** पुत्र हरदास ने दिनांक 24.06.1970 को प्रार्थना पत्र पेश करने पर, दिनांक 30.01.1971 को उक्त विवादित रकबे की टी.सी. आवंटित हुई थी। उक्त आवंटी **पृथ्वीराज पुत्र हरदास की दिनांक 09.08.1995 को मृत्यु हो गई थी।** टी.सी. आवंटी पृथ्वीराज को उक्त विवादित रकबा पर किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे तो उसकी पत्नी रेशी देवी उक्त विवादित रकबे पर किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने की हकदार नहीं है तो उसके वारिसों को उक्त विवादित रकबा पर किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**टी.सी. भूमि आवंटी** को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में कानूनी नज़ीरे निम्नानुसार अवलोकनीय है :

<u>आरआरडी 2018 पेज नं. 364</u>

**A lease for temporary cultivation come to end to an end automatically on expiry of the term of lease**

<u>आरबीजे 199 पेज नं. 214</u>

Temporary allotment of land for cultivation – creates no right in favour of the person to whom land was temporarily allotted.

<u>आरआरडी 1992 पेज नं. 431</u>

**A lease for temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period- <u>An heir to a deceased allottee can – not claim renewal thereof as a matter of right</u>-** He should apply for a fresh allotment for himself on merits.

**मण्डल की एकलपीठ द्वारा** अस्थाई कृषि पट्टे की अवधि समाप्त होने पर स्वतः निरस्त हो जाने बाबत पारित निर्णय राजस्थान राज्य बनाम गुलाबचन्द, आरआरडी 1992 पृष्ठ 431 का सुसंगत भाग इस प्रकार है:

A lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of term of lease. **<u>Therefore an heir of a deceased allottee in not entitled to claim renewal thereof as a matter of right</u>**. He has to apply afresh for allotment of the same on merits.

**संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार** राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.9(77)राज–6/2008/5 दिनांक 16.03.2018 का पैरा नं. – 2 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ9(77) / राज—6 / 2008 / 15 दिनांक 31.05.2008 पूर्णतया व स्वतः स्पष्ट है जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति की भूमि टी.सी. काश्त पर उस समय आवंटित की गई हो जब व रकबा कॉलोनी क्षेत्र में था, परन्तु बाद में कॉलोनी क्षेत्र से बाहर हो गया हो तो वह व्यक्ति सीलिंग सीमा तक खातेदारी हक लेने का पात्र होगा यदि उस व्यक्ति का भूमि पर दिनांक 01.01.2001 से पूर्व लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हो।

**अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि** पृथ्वीराज पुत्र हरदास जाति बिश्नोई द्वारा दिनांक 24.06.1970 को टी.सी. आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 30.01.1971 से सूरतगढ के खसरा नम्बर 335 की 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवंटित की थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवंटन पृथ्वीराज के नाम से हुआ था और दिनांक 29.08.1988 तक नवीनीकरण हुआ है, उसके पश्चात नवीनीकरण नहीं हुआ है और पृथ्वीराज की दिनांक 09.08.1995 को मृत्यु हो गई थी और माननीय मण्डल में निगरानी रेशी देवी वगै. द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसे निगरानी पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते थे।

**अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में** टी.सी. आवंटन पृथ्वीराज पुत्र हरदास जाति बिश्नोई के नाम से हुआ है। [illegible] को उक्त विवादित रकबे का अंतिमबार 29.08.1988 में नवीनीकरण हुआ है और दिनांक 09.08.1995 को पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाने के बाद माननीय मण्डल के उक्त निर्णय राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

सरकार बनाम गुलाब चंद के अनुसार भी अलॉटी के वारिसों को उक्त विवादित रकबे पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है और यदि अलॉटी के वारिस किसी प्रकार का आवंटन चाहते हो तो उसे आवंटन हेतु एक नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, जिस पर समस्त कार्यवाही के पश्चात ही किसी प्रकार के आवंटन की कार्यवाही हो सकती हैं।

**अप्रार्थी रेशी के वारिसों** के ओर से जरिये अधिवक्त दिनांक 18.06.2025 को गिरदावरी की प्रतियां पेश की गई है। उक्त गिरदावरी सम्वत् 2060 से 2063(2003–06) में पृथ्वीराज का नाम अंकित है जबकि पृथ्वीराज की मृत्यु दिनांक 09.08.1995 हो चुकी है। इसलिए पृथ्वीराज द्वारा सम्वत् 2060 –63 के मध्य उक्त जमीन पर काश्त करना सम्भव नहीं है तथा गिरदावरी सम्वत् 2076–79 में खातेदार के नाम में आराजीराज ही अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी रेशी देवी के वारिसों द्वारा उक्त विवादित रकबे पर किसी प्रकार काश्त नहीं की जा रही है और न ही वर्तमान में उनका उस पर कब्जा है।

**राज्य सरकार के परिपत्र (ग्रुप–6)** विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 के अनुसार ऐसी राजकीय भूमि जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी में आती है का ना तो नवीनीकरण किया जा सकता है और न ही आवंटन किया जाता सकता है, के सम्बन्ध में अप्रार्थी ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया है।

**दिनांक 29.08.1988 के पश्चात** अप्रार्थी पृथ्वीराज के नाम से नवीनीकरण नहीं होने के कारण भी उक्त आवंटन स्वतः ही खारिज हो जाता है। इसके अतिरिक्त अलॉटी पृथ्वीराज दिनांक 09.08.1995 को मृत्यु हो चुकी है इसलिए उक्त विवादित रकबा स्वतः ही खारिज हो चुका है। जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:48 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पर रेशी देवी की मृत्यु दिनांक 17.09.2019 के पश्चात उसके वारिसों का भी कोई अधिकार नहीं बनता है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.03.2018 के अनुसार भी 01.01.2001 से अप्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त न होने के कारण, उसे उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

**उपरोक्त, विवेचनानुसार कानूनी प्रावधानों** एवं राज्य सरकार के आदेश की पालना में अप्रार्थी पृथ्वीराज (रेशी देवी/रेशी देवी के वारिसों) को सूरतगढ के खसरा नम्बर 335 की 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि का कब्जा तुरन्त लेकर उचित व्यवस्था करें। आदेश की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित प्रति, मूल पत्रावली के साथ रखी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**आदेश आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:48 IST
Reason: SelfAttested